प्रेस नोट–

थाना नवाबाद जनपद झाँसी

दिनांक –27.05.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का 25,000/- रुपये का इनामिया सहित 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से मोबाइल फोन, नगदी एवं कार बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.05.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0-213/2026 धारा 111(2) बीएनएस व 3/13 जुआ अधिनियम से संबंधित 25,000/- रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त सत्येन्द्र यादव पुत्र मुन्नालाल यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी भगवन्तपुरा थाना सदर बाजार जनपद झाँसी एवं शिवा यादव पुत्र गजराज सिंह यादव उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम मैरी थाना नवाबाद जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद, जनपद झाँसी द्वारा दाखिल फर्द के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-213/2026 धारा 109(1)/112(2) बीएनएस, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, धारा 3/13 जुआ अधिनियम, 5/9 PROG ACT, 66(D) IT ACT एवं धारा 207 एम.वी. एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं तलाश हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 27.05.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा झाँसी-कानपुर हाईवे से ग्राम मुस्तरा जाने वाले कच्चे रास्ते पर लगभग 400-500 मीटर आगे, रास्ते के चौराहे के पास, चौकी क्षेत्र बजरंग कॉलोनी अंतर्गत चेकिंग की जा रही थी। तभी अभियुक्त 01. सत्येन्द्र यादव पुत्र मुन्नालाल यादव निवासी भगवन्तपुरा थाना सदर बाजार जनपद झाँसी, उम्र करीब 27 वर्ष, जो 25,000/- रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त है तथा 02. शिवा यादव पुत्र गजराज सिंह यादव निवासी ग्राम मैरी थाना नवाबाद जनपद झाँसी, उम्र करीब 29 वर्ष द्वारा पुलिस गिरफ्तारी से बचने एवं जान से मारने की नियत से अपनी टाटा नेक्सोन कार संख्या यूपी 93 सीएच 7352 रंग सफेद से पुलिस पार्टी के वाहन में टक्कर मार दी गई।

पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन, 10,800/- रुपये नगद एवं एक अदद टाटा नेक्सोन कार संख्या यूपी 93 सीएच 7352 रंग सफेद बरामद की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0-265/2026 धारा 109(1)/112(2) बीएनएस, धारा 3/13 जुआ अधिनियम, 5/9 PROG ACT एवं 66(D) IT ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। तत्पश्चात अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1. 04 मोबइल फोन

2. 10,800/- रुपए नगद

3. एक कार बरामद

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.सत्येन्द्र यादव पुत्र मुन्नालाल यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी भगवन्तपुरा थाना सदर बाजार झांसी (25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी)

2. शिवा यादव पुत्र गजराज सिंह यादव उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम मैरी थाना नवाबाद झांसी

<u>वाछिंत अभियुक्तगण-</u>

1. धमेन्द्र साहू पुत्र वृन्दावन साहू निवासी ग्राम नगरा थाना प्रेमनगर जिला झाँसी
2. हर्ष साहू पुत्र अज्ञात निवासी अस्सी घाट बनारस
3. निशान्त यादव उर्फ रोलेक्स पुत्र गोविन्द यादव निवासी वार्ड नं0 28 पड्डापुरा थाना कोतवाली जिला दतिया म0प्र0
4. अंकित यादव पुत्र आजाद सिंह यादव निवासी ग्राम दुबकी बैदोरा थाना बबीना जिला झाँसी
5. नीलेश यादव पुत्र आजाद सिंह यादव निवासी ग्राम दुबकी बैदोरा थाना बबीना जिला झाँसी
6. कुलदीप दिवाकर पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम दुबकी बैदोरा थाना बबीना जिला झाँसी
7. अभिषेक यादव पुत्र श्री चन्दन सिंह यादव नि0 ग्राम डुबकी थाना बबीना जिला झांसी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1.प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जनपद झाँसी

2.उ0नि0 निखिल कुमार चौकी प्रभारी विवि0 थाना नवाबाद जनपद झाँसी

3.उ0नि0 अनुज कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी

4.का0 842 सौरभ कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी

5.रि0का0 रवि सिंह थाना नवाबाद जनपद झाँसी

6.रि0का0 मो0 आकिब थाना नवाबाद जनपद झाँसी